

दिश की क्रम
1) और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

न्यायालय, समाहर्ता, मधुबनी

सी०सी०ए० वाद संख्या-98/2021-22

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत

सरकार

बनाम

प्रवीण महतो

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 3848/सी.आर दिनांक-01.10.2021, द्वारा अपराधकर्मी प्रवीण महतो, पिता- गंगाराम महतो, सा०-नवादा, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा-3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-11.10.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक-21.10.2021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण-पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 21.10.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।

अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया है कि इनके पक्षकार कभी अपने गाँव एवं आसपास में कभी भी अपराध की घटना नहीं की है और न अपराधिक घटना में नहीं जाना जाता है। इनके पक्षकार के विरुद्ध गंभीर अपराध में शामिल होने का कोई अभियोग नहीं लगा। इनके पक्षकार कभी भी शराब का धंधा नहीं किया है। इनके पक्षकार एक सामान नागरिक है और न अपराध करने वाला व्यक्ति है। मधेपुर थाना काण्ड सं०-23/20, 154/20 एवं मधेपुर थाना सनहा सं०-458 दिनांक 17.09.2021 एवं 508 दिनांक 19.09.2021 दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।

यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा अंकित किया गया है कि "असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी प्रवीण महतो जो उत्पाद अधिनियम के कांडों में आरोपित है तथा वर्तमान में ये जमानत पर मुक्त है। आसूचना संकलन में यह बात प्रकाश में आई है कि ये अपराधिक प्रवृत्ति के लोग है तथा इनके घर अनजान संदिग्ध का आना-जाना है, जिससे वहाँ के आम लोगों में भय का माहौल है। आगामी पंचायत चुनाव 2021 को लेकर किसी विशेष प्रत्याशी के साथ मिलकर फायदा पहुँचा सकते है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है -

01. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-23/20 दिनांक 20.02.2020
धारा 272/273 भा०द०वि० एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं

उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र सं०-202/20 दिनांक
31.12.2020

02. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-154/20 दिनांक 17.10.2020
द्वारा 272/273 भा०द०वि० एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं
उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र सं०-180/20 दिनांक
20.12.2020

03. मधेपुर थाना सनहा संख्या- 458 दिनांक 17.09.21

04. मधेपुर थाना सनहा संख्या- 508 दिनांक 19.09.21

इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन,
चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण
बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा-3 के तहत
आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का
अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध चार मामले दर्ज है। मधेपुर
थाना काण्ड सं०-23/20, 154/20 एवं मधेपुर थाना सनहा सं०-458 दिनांक 17.09.2021 एवं 508 दिनांक
19.09.2021 दर्ज है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 02(डी0) के तहत उद्धरित "Anti
Social element" की परिभाषा एवं भारतीय दंड विधान के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अन्तर्गत
परिभाषित हैं। अपराधकर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य अथवा कागजात दाखिल नहीं किया गया
है। जिससे प्रमाणित हो सके कि ये वर्तमान में स्वच्छ आचरण का जीवन व्यतीत कर रहे हो।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्तोच एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर
प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण
अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से
समाज पर दुःप्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या
हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन
पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी प्रवीण महतो, पिता- गंगाराम
महतो, सा०-नवादा, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3,
उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव 2021 को शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में
सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला-मधुबनी को थाना
बंदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से झंझारपुर थाना में प्रत्येक
तिथि को सदेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वा० से 11:00 बजे पूर्वा० तथा संध्या 05:00 बजे से 08:00
बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनांक 08.12.2021 को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति
में संबंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय
अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु
प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, झंझारपुर निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से
उपस्थिति पंजी संघारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी प्रवीण महतो, पिता- गंगाराम महतो, सा०-नवादा

थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी प्रवीण महतो, पिता- गंगाराम महतो, सा0-नवादा, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, मधेपुर थाना को भेजें। साथ ही इस आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, झंझारपुर थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को भेजें, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क, मधुबनी को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधुबनी जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजें।

(लेखाधित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

- ज्ञांपाक सं० 1161 / जि० वि० न्या० मधुबनी दिनांक 28/10/21
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, मधेपुर को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
एक प्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभार पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।